(80)

R 4189-PBR/16

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक-   /2016 निगरानी

दिनांक 9-12-16 को श्री ... शर्मा अभि० द्वारा प्रस्तुत
9-12-16

एम0के0इन्टर प्राईजेज द्वारा पार्टनर

1. श्रीमती कुसुम गोयल पत्नी श्री जी0सी0 गोयल, निवासी-51, कैलाश विहार, सिटी सेन्टर ग्वालियर (म0प्र0)
2. श्रीमती उर्मिला वैस गोयल पत्नी श्री एस0बी0 सिंह, निवासी-बलवन्त नगर, ग्वालियर (म0प्र0)

----आवेदक

बनाम

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा श्री भूपेन्द्र कुशवाह तहसीलदार वृत मेहरा, मुरार जिला ग्वालियर (म0प्र0)
2. श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी श्री आर0सी0मिश्रा, मुरार जिला ग्वालियर (म0प्र0)
3. श्रीमान् कलेक्टर महोदय, जिला ग्वालियर (म0प्र0)

-----असल अनावेदकगण

4. उत्तम सिंह पुत्र श्री नाथू सिंह, निवासी-ग्राम सिरौल परगना व जिला ग्वालियर (म0प्र0)

-----फॉर्मल अनावेदक

I/D/PAPAN/Legal/

<u>निगरानी अन्तर्गत धारा 50(क) नये संशोधन अधिनियम 2011 मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 30.11.2016 द्वारा पारित न्यायालय अपर आयुक्त संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक-57/2016-17 वउनमान एम0के0इन्टर प्राईजेज आदि विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन आदि के निर्णय से दुखी होकर।</u>

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः-

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः-</u>

1- यहकि, सर्वे क्रमांक-358 रकवा 1.968 हैक्टेयर स्थित ग्राम मेहरा तहसील व जिला ग्वालियर के भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी आवेदकगण हैं, उक्त भूमि आवेदकगण द्वारा श्री उत्तम सिंह पुत्र श्री नाथू सिंह, निवासी-ग्राम सिरौल परगना व जिला ग्वालियर से रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र द्वारा दिनांक 05.12.2013 को क्रय की गयी थी, तब पश्चात् नामांतरण हेतु आवेदन आवेदकगण द्वारा तहसीलदार ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, इसमें तहसीलदार वृत मेहरा ग्वालियर द्वारा दिनांक 28.03.2016 को नामांतरण आदेश आवेदकगण के हित में पारित किया गया हैं।

2- यहकि, तहसीदलदार वृत मेहरा ग्वालियर द्वारा मनमाने तरीके से उक्त नामांतरण के संबंध में बिना हम आवेदकगण को सूचना दिये पुर्नाविलोकन में प्रकरण लिये जाने की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी मुरार

ग्वालियर से प्राप्त कर ली गयी हैं, तथा दिनांक 20.10.2016 को सूचना-पत्र हम आवेदकगण को जारी किया गया हैं, जो हम आवेदकगण को दिनांक 25.10.2016 को प्राप्त हुआ हैं, जिसमें हम आवेदकगण द्वारा दिनांक 26.10.2016 को उपस्थित होकर एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया कि प्रकरण में नोटिस के जबाब हेतु तथा दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर प्रदान किया जावे, किन्तु तहसीलदार वृत मेहरा ग्वालियर द्वारा जबाब का अवसर हम आवेदकगण को न देते हुये दिनांक 26.10.2016 को ही प्रकरण में अंतिम आदेश पारित कर दिया गया।

3- यहकि, हम आवेदकगण द्वारा विचारण न्यायालय के नोटिस दिनांकी 20.10.2016 के विरूद्ध निगरानी श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय के न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकारी के बिन्दु पर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापस कर दिया गया, तथा निगरानी माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष में प्रस्तुत की गयी, जिसमें दिनांक 06.12.2016 पेशी दिनांक नियत हैं, जो दिनांक 06.12.2016 को ही वापस कर ली गयी हैं।

14.12.2016	R4189 PBR/16 आवेदकगण की ओर से श्री राम सेवक शर्मा अभिभाषक उपस्थित। उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने एवं प्रकरण वापिस किये जाने का	14-12
	अनुरोध किया गया। अनुरोध स्वीकार किया जाता है। प्रकरण वापिस किये जाने के कारण समाप्त किया जाता है। अध्यक्ष	